

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/591 /
II-14-67/59 VI

जबलपुर, दिनांक 23/02/2023

श्री प्रशांत पाण्डे, केयर टेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/प्रशिक्षण, दिनांक 12.11.59, ज्ञापन क्रमांक 727-397-चार-नि-6, दिनांक 16-05-1961 तथा मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का पत्र क्रमांक/डी.टी.ए./परीक्षा/2016/56 दिनांक 30-05-2016 में निहित निर्देशों के अनुसार लेखा प्रशिक्षण परीक्षा 60 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित कर उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप एक अग्रिम वेतन वृद्धि परीक्षा समाप्त होने के दिनांक 20-11-2022 के अगले दिन अर्थात् दिनांक 21-11-2022 से स्वीकृत की जाती है।


(रामकुमार चौबे)
* रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक A/592 /
II-14-67/59 VI

जबलपुर, दिनांक 23/02/2023

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 2. ओ.एस.डी. (एकाउंट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 3. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (जे), स्थापना/लेखा, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 4. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
 5. सहायक स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
 7. श्री प्रशांत पाण्डे, केयर टेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(विकास चन्द्र मिश्रा)
* रजिस्ट्रार (प्रशा.)